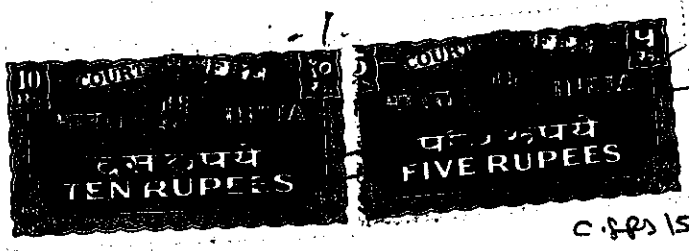

TEN RUPEES FIVE RUPEES

-1- 220

C.580/51

R. 1255-PBR/2003

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०प्र० /2003 पुनरीक्षण

श्रीमती कुसमाबाई उर्फ पुष्पाबाई पत्नी स्व० करनसिंह निवासी ग्राम आरेर तहसील एवं जिला दतिया ---- आवेदक

विरुद्ध

श्रीमती बिट्टीबाई तथाकथित पत्नी धनिराम निवासी ग्राम सिरियानाई तहसील एवं जिला दतिया ------ अनावेदक

अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 175/99-2000 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 9-4-2003 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० भू राजस्व संहिता।

23 AUG 2003

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करती है :-

(1) यह कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं मनमाने आधारों पर होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(2) यह कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अनावेदक द्वारा उक्त अपील आवेदक के पक्ष में पारित नामांतरण आदेश के विरुद्ध लगभग 3 वर्ष 3 माह बाद प्रस्तुत की गयी तथा उसके द्वारा अपील देर से प्रस्तुत किये जाने बाबत कोई समुचित कारण को दर्शाते हुये धारा-5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत कोई आवेदन भी नहीं दिया गया। प्रस्तुत अपील अवधिबाह्य होने पर भी अधीनस्थ न्यायालयों ने यह मानकर कि अपीलार्थी हितबद्ध पक्षकार है जो बिना सूचना दिये कोई आदेश पारित किया जाता है तो जानकारी के दिनांक से आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है, अपी ---

2- R 1255 - PBR/03 दर्शित

21-10-16

आवेदक की ओर से श्री सुरेश श्रीवास्तव उप0। आवेदक अभिभाषक द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से अंकित किया है कि पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है। प्रकरण को Not Press में समाप्त किया जाये। आवेदक अभि. का निवेदन स्वीकार। प्रकरण Not Press में समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

पक्षकारों के अधि. द्वारा नोट किया को अवगत

[कृ. प. उ.